रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237129
CG-DL-E-06072022-237129

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 482] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/ आषाढ़ 15, 1944
No. 482] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

सा.का.नि. 520(अ).—वायुयान नियम, 1937 कतिपय नियमों को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप, जिन संशोधनों को केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना प्रस्तावित करती है, को इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों के सूचनार्थ उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर भारत के राजपत्र, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित होती है, कि जिन प्रतियों पर अंकित तारीख से तीस दिन की अवधि के बाद विचार किया जाएगा, वे जनता को उपलब्ध कराई जाती है;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हो, नागर विमानन महानिदेशक, सफरदजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित किए जा सकते हैं या dgoffice.dgca@nic.in को ईमेल किए जा सकते हैं;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति की ओर से उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पहले प्राप्त होने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों को वायुयान (........संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।

   (2) ये नियम, सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान नियम, 1937 में, –

   (क) नियम 13 में, –

(i) जहाँ भी "सरकारी हवाईअड्डा" शब्द आये, इस शब्द स्थान पर "नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदत्त हवाईअड्डा" शब्द रखा जाएगा;

(ii) "नागर विमानन विभाग" शब्दों के स्थान पर "नागर विमानन महानिदेशालय" शब्द रखा जाएगा;

(ख) नियम 38 में, उप-नियम (1) में,-

(i) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, नामत;-

"(ज) उड़ान अनुदेशकों की रेटिंग (विमान और हेलीकाप्टरों के लिए);"

(ii) खंड (झ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, नामत;-

"(झ) पायलट का लाइसेंस (ग्लाइडरों, बैलूनों, माइक्रोलाइट विमान, लाइट स्पोर्ट्स विमान तथा गाइरोप्लेन के लिए);"

(ग) तालिका में नियम 39ग में, उप-नियम (1) में,-

(i) कॉलम (3) में क्रम संख्या (i) के विरुद्ध, "पाँच वर्ष" शब्द के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखा जाएगा;-

(ii) कॉलम (3) में क्रम संख्या (ii) के विरुद्ध, "पाँच वर्ष" शब्द के स्थान पर "दस वर्ष" शब्द रखा जाएगा;-

(घ) नियम 42 में, उप-नियम (1) के चौथे प्रावधान के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम जोडे जाएगे, नामतः-

(i) (1क). लाइसेंस के विशेषाधिकारों का प्रयोग करने के लिए योग्यता और नवीनता की अपेक्षाएं, जैसा कि महानिदेशक द्वारा निर्धारित की गई हों, उन्हें इंस्ट्रूमेंट रेटिंग टैस्ट तथा पायलट प्रोफिसियंसी चैक से पहले पूरी की जाएगी;

(ii) (1ख). उप-नियम (1क) में उल्लिखित अपेक्षाओं के अनुपालन को सुनिश्चित करना परीक्षक, प्रचालक या व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी और इस तरह के अनुपालन को महानिदेशक द्वारा लाइसेंस, रेटिंग के नवीनीकरण, जैसा भी मामला हो, के समय सत्यापित किया जाएगा;

(iii) (1ग). अन्य सभी मामलों के लिए, जहां रेटिंग के नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं है, ऊपर उप-नियम (1क) में उल्लिखित अपेक्षाओं का अनुपालन, व्यक्ति अथवा ऑपरेटर द्वारा, अनुज्ञप्ति की वैधता की अवधि के दौरान प्रत्येक ढाई वर्ष में महानिदेशक को प्रस्तुत किया जाएगा।

(ङ) नियम 66 में,-

(i) उप-नियम (1) में,-

(क) शब्द "किसी प्रकाश", के लिए शब्द "कोई प्रकाश सहित लेकिन लैन्टर्न काइट्स, विश काइट्स, लेजर लाइट से आने वाली लाइट अथवा अन्य किसी लाइट तक सीमित न हो" रखा जाएगा;

(ख) खंड (क) में, "5 किलोमीटर" शब्द के लिए "पाँच नौटिकल माइल्स" शब्द रखा जाएगा।

(ग) खंड (ग) में, शब्द "विसीनिटी" के लिए, "विसीनिटी ऑफ फाइव नॉटिकल माइल्स" शब्द रखा जाएगा;

(घ) खंड (घ) के अंत में, पाठ "केंद्र सरकार, आग लगने वाली जगह के मालिक अथवा धारक व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति को जिस पर आग का आरोप हो, उस स्वामी अथवा व्यक्ति को, नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले एक उपयुक्त समय के के अंतर्गत, आग बुझाने के लिए प्रभावी अग्निशमन उपायों को करने अथवा प्रभावी ढंग से आग की जाँच करने तथा भविष्य में इस प्रकार की आग के उत्तपन्न होने को रोकने के लिए निर्देशित करते हुए एक नोटिस तामील कर सकती है" का विलोप होगा;

(ii) खंड (घ) के बाद, निम्नलिखित खंड को जोड़ा जाएगा, नामतः----

"(ङ) जो विमान के सुरक्षित प्रचालन को बाधित कर सकता है अथवा प्रचालनिक दल को खतरा पैदा कर सकता है।;

(iii) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित पाठ को जोड़ा जाएगा, नामतः---

"केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आग लगने वाली जगह के मालिक अथवा धारक व्यक्ति को अथवा उस व्यक्ति को जिस पर आग का आरोप हो, उस स्वामी अथवा व्यक्ति को, नोटिस में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले एक उपयुक्त समय के अंतर्गत, आग बुझाने के लिए प्रभावी अग्निशमन उपायों को तत्काल प्रभाव से करने तथा भविष्य में इसे रोकने के लिए, इसी प्रकार की अग्नि का प्रदर्शन के लिए नोटिस तामील कर सकता है।"।

(iv) उप-नियम (3) में, शब्द "उपयुक्त कारण के अभाव में, साबित करने का बोझ जो उस पर होगा, नोटिस में समाहित निर्देशों के साथ अनुपालित होगी।" के लिए "कथित नोटिस में समाहित निर्देशों के क्रम में तुरंत कार्रवाई करेगा" शब्द रखा जाएगा;

(v) उप-नियम (4) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, नामत;-

"(4) यदि वह मालिक अथवा व्यक्ति जिसे अग्नि शमन का निर्देश दिया गया है उसके पास इस प्रकार की अग्नि के प्रचालन का उपयुक्त कारण है, जिसको साबित करने का बोझ उसके ऊपर होगा, वह अग्नि शमन अथवा रोकने के पश्चात, महानिदेशक, नागर विमानन के समक्ष हवाईअड्डा प्रचालक के निर्देश पर एक अपील दर्ज कर सकता है।"

(vi) उप-नियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, नामत;-

"(5) यदि कोई स्वामी (owner) अथवा व्यक्ति जिसे इस नियम के अधीन नोटिस तामील किया गया है, नोटिस में वर्णित अग्नि को चौबीस घंटे तक बुझाने अथवा प्रभावी ढंग से दिखाने की उपेक्षा करता है, केंद्र सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति उस स्थान पर प्रवेश कर सकता है जहाँ पर अग्नि है और उसके पश्चात उसका शमन करेगा, वह अनावश्यक नुकसान नहीं करेगा तथा भारतीय दंड संहिता के अधीन निर्धारित अपराध कारित करने की कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन में मामले की रिपोर्ट भी करेगा।

(6) यदि किसी विमान के प्रचालनिक दल द्वारा आग के स्रोत का पता नहीं लगता है अथवा इस प्रकार की आग का उपयोग निर्धारित स्थान से नहीं है अथवा आग के उत्सर्जन का स्रोत एक जगह से शिफ्ट होकर दूसरी जगह जा रहा है तो हवाईअड्डा प्रचालक अथवा एयरलाइन प्रचालक जैसा भी मामला हो, मामले को तुरंत संबंधित पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करेगा जिससे कि अपराध करने के लिए कार्रवाई जैसा की भारतीय दंड संहिता के अधीन निर्धारित हो, प्रारंभ की जा सके।

(च) नियम 67 क में, उप-नियम (6) में, शब्द "एयरोप्लेन" के लिए "एयरक्राफ्ट" उपयोग होगा;

(छ) अनुसूची II, ----

(i) धारा क में, पैराग्राफ 9, पैराग्राफ 10 से पुनःक्रमांकित होगा;

(ii) धारा ड में, पैराग्राफ 4 में, खंड (ग) के लिए, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, नामतः-

"(ग) इंस्ट्रूमेंट रेटिंग- इंस्ट्रूमेंट रेटिंग एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस का हिस्सा होगी तथा इसलिए पृथक इंस्ट्रूमेंट रेटिंग जारी नहीं होंगी, तथापि, अनुसूची II की धारा 'ण' में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं के अनुसार नवीकृत किया जाएगा।";

(ज) अनुसूची VIख में, पैराग्राफ 2 में, तालिका 2 में, क्रम संख्या 81 के सापेक्ष, कॉलम (2) में, शब्द "उप-नियम" का विलोप होगा।

[फा. सं. एवी -11012/1/2022-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या V-26 दिनांक 23 मार्च, 1937 को प्रकाशित हुए थे और अंतिम बार सा.का.नि. 289(अ), दिनांक 08 अप्रैल, 2022 के द्वारा संशोधित होकर भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022

G.S.R. 520(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft Rules, 1937, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mailed to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period specified above will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (1) These rules may be called the Aircraft (……….Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft Rules, 1937 —

(A) in rule 13,

(i) for the words "Government Aerodrome" wherever they occur, the words "Aerodrome licensed by the Director-General of Civil Aviation" shall be substituted;

(ii) for the words "Civil Aviation Department", the words " Directorate General of Civil Aviation" shall be substituted;

(B) in rule 38, in sub-rule (1), —

(i) for clause (h), the following clause shall be substituted, namely; —

"(h) Flight Instructor's Rating (for aeroplanes, helicopters);"

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely;—

"(i) Pilot's License (for gliders, balloons, microlight aircraft, light sport aircraft and gyroplane);"

(C) in rule 39C, in sub-rule (1), in Table, —

(i) against serial number (i), in column (3), for the words "Five years" the words "Ten years" shall be substituted;

(ii) against serial number (ii), in column (3), for the words "Five years" the words "Ten years" shall be substituted;

(D) in rule 42, after fourth proviso to sub-rule (1), the following sub –rules shall be inserted, namely —

(i) (1A). The requirements of competency and recency for exercising the privileges of the licence, as prescribed by the Director-General, shall be completed before Instrument rating test and Pilot Proficiency check;

(ii) (1B). Ensuring compliance of requirements as mentioned above in sub-rule (1A) shall be the responsibility of the Examiner, Operator or individual and such compliance would be verified by the Director-General at the time of renewal of license, ratings, as the case may be;

(iii) (1C). For all other cases, where renewal of rating is not required, the compliance of requirements as mentioned above in sub-rule (1A) shall be submitted to Director-General

by the individual or by the Operator, in every 2 ½ years during the validity period of the license.

(E) in rule 66,—

(i) in sub-rule (1), —

(a) for the words "any light", the words "any light including but not limited to the lights from Lantern Kites, Wish Kites, Laser light or any other light" shall be substituted;

(b) in clause (a) , for the words "5 kilometres", the words "five nautical miles" shall be substituted;

(c) in clause (c) , for the words "vicinity " the words "vicinity of five nautical miles" shall be substituted;

(d) at the end of clause (d), the text "the Central Government may serve a notice upon the owner or person in possession of the place where the light is exhibited or upon the person having charge of the light, directing that owner or person, within a reasonable time to be specified in the notice, to take effectual means for extinguishing or for effectually screening the light and for preventing for the future the exhibition of any similar light" shall be omitted;

(ii) after clause (d) , the following clause shall be inserted, namely:----

"(e) which may disrupt safe operation of the aircraft or may pose hazard to the operating crew.;

(iii) after clause (e) , the following text shall be inserted, namely: ----

"the Central Government. or any person authorised by the Central Government through notification in Official Gazette, may serve a notice upon the owner or person in possession of the place where the light is exhibited or upon the person having charge of the light, directing the owner or person to take effectual means for extinguishing or for effectually screening the light with immediate effect and for preventing for the future, the exhibition of any similar light.".

(iv) in sub-rule (3), for the words " in the absence of reasonable cause, the burden of proving which shall be upon him, comply with the direction contained in the notice." the words "immediately act in accordance with the directions contained in the said notice." shall be substituted;

(v) for the sub rule (4), the following sub-rule shall be substituted, namely;—

"(4) In case the owner or person who has been directed to extinguish the light has any reasonable cause to operate such light, the burden of proving which shall be upon him, may, after extinguishing or stopping exhibition of lights, submit an appeal from the directions of Airport Operator, to the Director General of Civil Aviation."

(vi) after sub-rule (4) , the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) If any owner or person on whom a notice under this rule is served, neglects for a period of twenty four hour to extinguish or effectually to screen the light mentioned in the notice, the Central Government. or any person authorised by the Central Government may enter upon the place where the light is and forthwith extinguish the same, doing no unnecessary damage and may also report the matter to the concerned police station for initiating the action of commission of offence as provided under the Indian Penal Code.

(6) In case the source of the light observed by the Operating crew of any aircraft is not located or the use of such light is not from a determined place or the source of emission of light is shifting from one place to another then the Airport Operator or the Airline Operator as the case may be, shall immediately report the matter to the concerned police station so as to initiate action for commission of offence as provided under the Indian Penal Code.";

(F) in rule 67A, in sub-rule (6), for the word "aeroplane", the word "aircraft", shall be substituted;

(G) in Schedule II,—

(i) in Section A, the paragraph 9, shall be renumbered as paragraph 10;

(ii) in Section M, , in paragraph 4, for clause (c),the following clause shall be substituted, namely:-

"(c) Instrument Rating- The Instrument rating shall be part of the Airline Transport Pilot License and therefore no separate Instrument Rating will be issued, however, the Instrument Rating shall be renewed as per the requirements specified in Section 'O' of Schedule II.";

(H) in Schedule VIB, in paragraph 2, in Table 2, against serial number 81, in column (2), the words "sub-rule" shall be omitted.

[F. No. AV-11012/1/2022-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, *vide* notification number V-26, dated the 23rd March, 1937 and last amended *vide* G.S.R. 289(E), dated the 08th April, 2022 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 08th April, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA